

परिणामी बजट वर्ष 2007-08

राशि हजार रुपयों में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2007-08	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
विभाग- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग					
विभागाध्यक्ष- संचालक,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति					
1	राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि	समस्त जिलों में गठित सभी उपभोक्ता क्लबों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	5000	वर्तमान में संचालित 325 कन्ज्यूमर क्लब को 8000/- प्रति क्लब के मान से अनुदान 300 नवीन कन्ज्यूमर क्लब की स्थापना एवं उन्हें 8000/- रुपये प्रति क्लब के मान से अनुदान	
2	रियायती दर पर आयोडाइज्ड नमक राज्य के समस्त बी.पी.एल.परिवारों को 25 पैसे प्रति किलो के मान से प्रति कार्ड 2 किलो नमक प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाना।		126906	22.92 लाख बी.पी.एल.परिवारों को 55017 मे.टन नमक उपलब्ध करवाया जावेगा।	
3	अन्नपूर्णा योजना	65 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराश्रित व्यक्तियों को, जिन्हें वृद्धावस्था पेशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें 10 किलो चावल प्रतिमाह प्रति कार्ड निःशुल्क प्रदान किया जाना।	19392	27697 लाख हितग्राहियों को 3323.64 मे.टन चावल उपलब्ध करवाया जावेगा।	
4	अन्नपूर्णा दाल-भात केन्द्रों को सहायता	05 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाना।	1000	प्रदेश में संचालित 177 दालभात केन्द्रों के माध्यम से प्रतिदिन 30-35 हजार जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवाया जावेगा।	
5	अंत्योदय अन्न योजना	प्रत्येक अंत्योदय परिवार को 3 रुपये प्रति किलो की दर से चावल उपलब्ध कराने के लिये परिवहन तथा अन्य प्रासंगिक व्यय हेतु राशि उपलब्ध कराना।	250000	7.19 लाख अंत्योदय परिवार को 3 रुपये किलो की दर से 35 किलो चावल प्रतिमाह उपलब्ध करवाया जावेगा।	

परिणामी बजट वर्ष 2007-08

राशि हजार रुपयों में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2007-08	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
विभाग- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग					
विभागाध्यक्ष- संचालक,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति					
6	मुख्यमंत्री खाद्यान्व सहायता योजना	(1) वर्ष 2002 के सर्वेक्षण सूची में शामिल नहीं किये गये वर्ष 1991 एवं 1997 की सर्वे सूची में सम्मिलित वर्तमान बी.पी.एल. राशनकार्ड धारी परिवारों को खाद्यान्व सहायता उपलब्ध कराना । (2) राज्य के समस्त निर्धन जनजातीय परिवारों को अंत्योदय दर पर चावल उपलब्ध कराना ।	1139750	लगभग 10 लाख निर्धन परिवार इस योजना के माध्यम से लाभान्वित होंगे ।	
7	नागरिक आपूर्ति निगम को ऋण	नागरिक आपूर्ति निगम को शासन की विकेन्ट्रीकृत उपार्जन योजना के क्रियान्वयन हेतु रिवाल्विंग फंड के रूप में राशि दिया जाना ।	1500000	इससे राज्य शासन को लगभग 5 करोड़ की ब्याज हानि राशि की बचत होगी ।	
8	पहुँचविहीन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में खाद्य भंडारण हेतु सहायता ।	पहुँचविहीन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के समय अग्रिम खाद्य भंडारण करना ।	90000	557 पहुँचविहीन केन्द्रों में वर्षा ऋतु के दौरान सार्वजनिक वितरण सामग्री का अग्रिम भंडारण किया जायेगा ।	

विभागाध्यक्ष- संचालक,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति